समिति कक्ष 141, उद्योग भवन, नई दिल्ली-11 में 15 जनवरी 2018 को अपराह्न 3 बजे विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) की अध्यक्षता में लाजिस्टिक्स प्रयोक्ता मंत्रालयों / विभागों के साथ बैठक का कार्यवृत्त

बैठक में पीजीए से निम्नलिखित अधिकारियों ने भाग लिया, जिनसे पोर्ट / एयरपोर्ट / लैंडपोर्ट पर एग्जिम कंसाइनमेंट के लिए सांविधिक स्वीकृति जारी करने की अपेक्षा होती है :

1. श्री एस पी साहू, आयुक्त (एकल खिड़की), सीबीईसी
2. प्रदीप पिल्लई, उप निदेशक, परमाणु ऊर्जा विभाग
3. श्री एस के यादव, निदेशक (आयात), एफएसएसएआई
4. श्री ओ पी वर्मा, उप निदेशक, पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय
5. श्री एस आर राजा, अवर सचिव, कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण मंत्रालय
6. श्री हिमांशु चौहान, डिप्टी एडीजी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7. श्री पंकज मलिक, संयुक्त निदेशक, वस्त्र समिति
8. सुश्री शिल्पी चौहान, सहायक निदेशक, वस्त्र समिति
9. श्री नवनीत प्रताप सिंह, सहायक औषधि नियंत्रक, सीडीएससीओ
10. डॉ. विनीता, सहायक निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी
11. डॉ. एस राजेश, सहायक निदेशक, डब्ल्यूसीसीबी
12. सुश्री रूपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार, वाणिज्य विभाग
13. श्री अनंत स्वरूप, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
14. श्री केशव चंद्र, संयुक्त सचिव (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
15. श्री डी पी महापात्र, अपर डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग
16. श्री एस के अहिरवार, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग
17. श्री अमन शर्मा, निदेशक (लाजिस्टिक्स), वाणिज्य विभाग

बैठक में पशु संगरोध एवं प्रमाणन सेवाओं से एक भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यह जांच की जाए कि क्या बैठक का नोटिस प्राप्त किया गया था या नहीं।

परमाणु ऊर्जा विभाग के अधिकारी ने सूचित किया कि परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (एईआरबी) से प्रतिनिधि से अगली बैठक में भाग लेने का अनुरोध किया जाना चाहिए

क्योंकि एईआरबी ऐसी एजेंसी है जो रेडियोधर्मी मदों के लिए आयात और निर्यात के लाइसेंस जारी करने के लिए जिम्मेदार है।

बैठक के एजेंडा पीजीए कामकाज को समझना तथा संबंधित एजेंसियों से प्रसंस्करण का समय कम करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने, अपने संपूर्ण प्रचालनों को आनलाइन एवं पारदर्शी बनाने के लिए अनुरोध करना था।

क. शुरू में विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने पीजीए के अधिकारियों का स्वागत किया तथा बताया कि इस चर्चा का उद्देश्य एग्जिम क्लियरेंस जारी करने में पीजीए द्वारा लिए जाने वाले समय को कम करने तथा उनके कामकाज को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी बनाने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करना है। विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने सभी पीजीए से देश में संपूर्ण लाजिस्टिक्स सेक्टर को परिवर्तित करने के लिए सरकार की इस पहल में प्रतिभागी बनने की अपील की।

ख. विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) ने पीजीए से अपने अपने क्षेत्र में विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया।

ग. बैठक के दौरान निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा हुई :

I. सूचित किया गया कि निर्यात के लिए एनओसी तथा आयात लाइसेंस जारी करने के लिए एईआरबी का एक आनलाइन पोर्टल है; लाइसेंस जारी करने के लिए 15 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। तथापि, सीमा शुल्क के आटोमेटिक लाइसेंस वेरीफिकेशन सिस्टम पर एईआरबी के मौजूद न होने के कारण आयात लाइसेंस की मूल प्रति क्लियरेंस के लिए कस्टम को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है; इससे पोर्ट पर ड्वेल टाइम में वृद्धि होती है।

II. एफएसएसएआई ने अधिक जोखिम तथा कम जोखिम की मदों के लिए नमूना की आवश्यकता निर्धारित की है। आयातकों के पिछले निष्पादन के आधार पर नमूना की आवश्यकता निर्धारित की गई है अर्थात शुरू में 100 प्रतिशत निरीक्षण और यदि कोई उल्लंघन सूचित नहीं किया जाता है तो आयातक 25 प्रतिशत निरीक्षण की श्रेणी में चले जाते हैं और फिर 5 प्रतिशत की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। बताया गया कि केवल मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट पर एफएसएसएआई की 24 घंटे निरीक्षण की सुविधा उपलब्ध है। एनओसी जारी करने के लिए स्विफ्ट सिस्टम के माध्यम से इंट्री बिल की प्राप्ति के बिंदु से एफएसएसएआई द्वारा लिया जाना वाला औसत समय 6.9 दिन है; 3-4 दिन

का समय टेस्टिंग लैब द्वारा लिया जाता है तथा शेष समय प्रसंस्करण में लगता है। एफएसएसएआई द्वारा अपेक्षित सभी सूचना इस समय आयातक द्वारा इंट्री बिल में पंच नहीं की जाती है। इसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहां एफएसएसएआई द्वारा अपेक्षित अतिरिक्त सूचना / दस्तावेज आयातक द्वारा एफएसएसएआई के पोर्टल पर दाखिल करने की आवश्यकता होती है जिससे विलंब होता है।

III. बताया गया कि औषधि नियंत्रक द्वारा जारी किए गए आयात लाइसेंस पूरी तरह आनलाइन हैं। तथापि, विकास आयुक्त के पास इंट्री बिल भेजने के बाद आयातक द्वारा भौतिक दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। तथापि, एफएसएसएआई से भिन्न, नमूना लिए जाने के बाद औषधि नियंत्रक इस आशय का गारंटी पत्र की प्राप्ति पर कंसाइनमेंट सौंपने की अनुमति प्रदान करता है कि आयातक विकास आयुक्त द्वारा अंतिम क्लियरेंस जारी होने तक कंसाइनमेंट का प्रयोग नहीं करेगा। एफएसएसएआई के पास इस तरह की व्यवस्था केवल अत्यधिक विनाशशील मदों के लिए है।

IV. पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि हालांकि 63 पोर्ट पर पादप संगरोध की मौजूदगी है, पूर्णत: सुसज्जित लैब केवल 6 पोर्ट पर उपलब्ध हैं। इसकी वजह से उन्हें केवल इन 6 पोर्ट से बीज जैसी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता होती है। डीसी तथा एफएसएसएआई से भिन्न, पीक्यू के पास आयातकों के पिछले निष्पादन के आधार पर जोखिम मूल्यांकन की कोई प्रणाली नहीं है और आयातित मद की श्रेणी के अनुसार जोखिम परिभाषित किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि किसी उल्लंघन की स्थिति में स्थानीय पीक्यू अधिकारी के पास केवल पहले उल्लंघन पर निर्णय लेने की शक्ति है; उसी आयातक द्वारा परवर्ती उल्लंघन को कंसाइनमेंट के क्लियरेंस के लिए कृषि मंत्रालय के पास भेजा जाएगा; यह विलंब का एक बड़ा कारण है।

V. पोर्ट के स्वास्थ्य अधिकारी ने सूचित किया कि उनकी भूमिका ऐसे देशों से आने वाले वेजल (शिप / ट्रक / एयरक्राफ्ट) तथा क्रू की स्क्रीनिंग एवं क्लियरेंस तक सीमित है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संचारी रोगों के फैलाव के क्षेत्र के रूप में चिह्नित किए गए हैं।

VI. वस्त्र समिति के अधिकारियों ने सूचित किया कि सीमा शुल्क विभाग से टेस्ट मेमो (जिसमें इंट्री बिल के ब्यौरे होते हैं) की प्राप्ति की तिथि से सैंपल प्राप्त करने में लगभग एक सप्ताह का विलंब होता है। सीमा शुल्क आयुक्त ने

सूचित किया कि हानिकर डाई की जांच करने की आवश्यकता काफी घट गई है क्योंकि अब उन्होंने ऐसी जांच की आवश्यकता ऐसे मूल देश के मामले में हटा दी है जिसने हानिकर डाई के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है।

VII. वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के अधिकारियों ने सूचित किया कि केवल मेट्रो शहरों में स्थित पोर्ट पर उनकी उपस्थिति होती है तथा पूरे देश में कुल मिलाकर केवल 9 निरीक्षक हैं। बताया गया कि उनका कार्य तेजी से पूरा हो सकता है यदि आयातकों एवं निर्यातकों के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाए कि वे इंट्री बिल और निर्यात बिल में कंसाइनमेंट के वैज्ञानिक (बोटेनिकल और जूलाजिकल) नाम का उल्लेख करें। सीमा शुल्क आयुक्त ने सूचित किया कि बहुत शीघ्र आइसगेट पर वैज्ञानिक नाम अनिवार्य किए जाएंगे।

घ. बैठक के दौरान हुए विचार विमर्श से निम्नलिखित कार्य बिंदु उभरे :

I. सभी पीजीए लाजिस्टिक्स प्रभाग को प्रस्तुत करने के लिए 30 जनवरी 2018 तक निम्नलिखित फार्मेट में विस्तृत दस्तावेज तैयार करें :

वर्तमान स्थिति (सांकेतिक नमूने)	**प्रोसेसिंग में लिया गया समय**	**प्रोसेसिंग का लक्षित समय**	**लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय सीमा**
नमूना लेने में लिया गया औसत समय			
जांच के लिए नमूना भेजने में लिया गया औसत समय			
टेस्टिंग लैब द्वारा लिया गया औसत समय			
एनओसी आदि जारी करने के लिए पेपर वर्क में लिया गया औसत समय			

साथ ही संपूर्ण पीजीए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल एवं इलेक्ट्रानिक रूप से संभव बनाने के लिए एक रोडमैप भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य पीजीए द्वारा पूर्ण व्यवसाय प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग करना है।

II. एफएसएसएआई आयातक द्वारा गारंटी पत्र के आधार पर नमूना लेने के बाद कंसाइनमेंट जारी करने के लिए औषधि नियंत्रक जैसी प्रणाली को लागू करने पर विचार करे।

III. एफएसएसएआई जेएनपीटी पर क्लियरेंस के लिए अधिक समय लेता है। अगले तीन महीनों में इसे कम किया जा सकता है। एफएसएसएआई 30 जनवरी 2018 तक इस आशय की विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेगा।

IV. कस्टम और पीजीए एक ऐसी प्रणाली विकसित करें जिसके माध्यम से विशिष्ट पीजीए को इंट्री बिल भेजे जाने के तुरंत बाद सभी हितधारकों (आयातक, संबंधित पीजीए अधिकारी आदि) को एसएमएस अलर्ट भेजा जा सके।

V. पादप संरक्षण, संगरोध एवं भंडारण निदेशालय दूसरे तथा परवर्ती उल्लंघन के मामलों की प्रोसेसिंग की प्रक्रियाओं को सरल बनाए; यह इस समय कृषि मंत्रालय में निहित शक्ति के विकेन्द्रीकरण पर विचार करे।

VI. सभी पीजीए अधिकृत आर्थिक प्रचालकों को वही लाभ प्रदान करने पर विचार करें जो कस्टम द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि एईओ को आटोमेटिक पीजीए क्लियरेंस प्रदान करना।

VII. सभी पीजीए सभी पोर्ट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करें और 24 घंटे प्रचालन करें। यदि यह संभव न हो तो प्रचालन के किसी वैकल्पिक माडल को अपनाने पर विचार करें जैसे कि यूएस एफडीए द्वारा अपनाया गया माडल जिसमें ऐसे कंसाइनमेंट को ग्रीन चैनल प्रदान किया जाता है जो उन स्रोतों से उत्पन्न होते हैं जो मान्यता प्राप्त प्रमाणन एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हैं। अथवा प्रयोक्ता शुल्क माडल पर कार्य के निष्पादन के लिए निजी प्रयोगशालाओं और संस्थाओं को प्रत्यायित करने पर विचार करें।

VIII. सभी पीजीए प्रलेखन की आवश्यकता पर पुनर्विचार करें ताकि उनको सरल बनाया जा सके। बहुलता समाप्त होनी चाहिए तथा सरलीकृत दस्तावेजों का डिजिटीकरण किया जाना चाहिए। पीजीए एक डिजिटल इको सिस्टम (वरीयत: साझी प्रणाली) का विकास कर सकते हैं जहां सभी प्रलेखन और

प्रोसेसिंग आनलाइन होती है तथा मानव इंटर्फेस की आवश्यकता नहीं होती है।

इसे विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

हस्ता/-

(अमन शर्मा)
निदेशक (लाजिस्टिक्स)

प्रति प्रेषित :

1. विशेष सचिव (लाजिस्टिक्स)
2. संबंधित पीजीए
3. संबंधित मंत्रालयों / विभागों के सचिव